राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पतासी देवी बनाम सरकार

तारीख हुक्म 850/2025

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

23/12/2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 24/12/2025 को पेश हो |

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

24/12/2025

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17/08/2017 पारित करते हुए पटवार हल्का कुहाडा के ग्राम इस्माइलपुर के खसरा नम्बर 200/0.67 हैक्टेयर भूमि ओ अकृषि उपयोग यानि मौके पर आवासीय कॉलोनी के रूप में सड़क ग्रेवल मिटटी का निर्माण कर उपयोग में आने के कारण सिवायचक राज्य सरकार में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जारी नोटिस की पुष्ठ पर तामील कुलिन्दा द्वारा अंकित रिपोर्ट का समुचित अवलोकन किये बगैर ही उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तामील से प्राप्त अपीलार्थीयां के नोटिस का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थीयां पतासी देवी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर इन्द्रराज यादव के हस्ताक्षर मौजूद है तथा उसके आधार पर तामील कुलिन्दा द्वारा बाद तामील की रिपोर्ट की गयी है जबकि नोटिस लेने वाले इन्द्रराज यादव का पतासी देवी से क्या सम्बन्ध है, का भी तामील कुलिन्दा द्वारा कोई अंकन किये बगैर ही गलत रूप से नोटिस बाद तामील पेश होने की रिपोर्ट अंकित कर दी गयी एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नोटिस का अवलोकन किये बगैर ही अपीलार्थीयां के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुये अपीलार्थीयां को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुती का अवसर प्रदान किये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटी किया जाना स्पष्ट होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17/08/2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थीयां सहित समस्त पक्षकारान को साक्ष्य प्रस्तुती एवं सुनवाई का समुचित

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पतासी देवी बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	अवसर प्रदान कर विवेचनात्मक विधिसम्मत निर्णय पुनः पारित करें। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	